



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 359) पटना, बृहस्पतिवार, 18 जून 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

18 जून 2020

सं० एम-01-003/2020-10—बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 से संबंधित महामहिम राज्यपाल, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : एम-01-003/2020-09 दिनांक 18.06.2020 तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 322/बिहार-वि.प/2020(1) दिनांक 18.06.2020 एवं अधिसूचना संख्या 322/बिहार-वि.प/2020(2) दिनांक 18.06.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
उप सचिव ।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

18 जून 2020

सं० : एम-01-003/2020-09—यतः बिहार राज्य में, राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य की विधान परिषद् के नौ सदस्यों के स्थान 6 मई, 2020 को उनकी पदावधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति होने पर रिक्त हो गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	अशोक चौधरी	06.05.2020
2.	कृष्ण कुमार सिंह	
3.	प्रशान्त कुमार शाही	
4.	संजय प्रकाश	
5.	सतीश कुमार	
6.	राधा मोहन शर्मा	
7.	सोनेलाल मेहता	
8.	मो. हारून रशीद	
9.	हीरा प्रसाद बिन्द	

यतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार राज्य के राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए नौ सदस्य निर्वाचित कर दें।

आदेश से और राज्यपाल के नाम से,
आलोक कुमार,
उप सचिव।

The 18th June 2020

No. - M-01-003/2020-09—WHEREAS, the seats of nine members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the Members of Legislative Assembly of the State have fallen vacant on 06.05.2020 on retirement of those members, due to the expiration of their term of office as detailed below;

Sl.No.	Name of Members	Date of Retirement
1.	Ashok Choudhary	06.05.2020
2.	Krishan Kumar Singh	
3.	Prashant Kumar Shahi	
4.	Sanjay Prakash	
5.	Satish Kumar	
6.	Radha Mohan Sharma	
7.	Sonelal Mehta	
8.	Md. Haroon Rashid	
9.	Hira Prasad Vind	

and

WHEREAS, a Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is, hereby, pleased to call upon the Members of the Legislative Assembly of the State, to elect nine members to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of the Governor,
Alok Kumar,
Deputy Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 18 जून, 2020, ज्येष्ठ 28, 1942 (शक)

सं. 322/बिहार-वि.प./2020(1)—यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 18 जून, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य की विधानसभा के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य में विधान परिषद् के लिए 09 (नौ) सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:—

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — | 25 जून, 2020 (गुरुवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | — | 26 जून, 2020 (शुक्रवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | — | 29 जून, 2020 (सोमवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | — | 06 जुलाई, 2020 (सोमवार); और |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | — | 08 जुलाई, 2020 (बुधवार); |
- नियत करता है;

और

- (इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated: 18th June, 2020, Jyaishta 28, 1942 (Saka)

No. 322/BR-LC/2020 (MLAs) (1) —WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 18th June, 2020, been pleased to call upon the members of the Legislative Assembly of the State, to elect 9 (Nine) members to the Legislative council of the State:-

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election-

- the 25th June, 2020 (Thursday), as the last date for making nominations;
- the 26th June, 2020 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- the 29th June, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 06th July, 2020 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- The 08th July, 2020 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the State on the date specified above, for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 18 जून, 2020, ज्येष्ठ 28, 1942 (शक)

सं 322/बिहार-वि.प./2020 (2)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 18 जून, 2020 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने वाली राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा—

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	श्री भूषण कुमार झा, निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated: 18th June, 2020, Jyaishta 28, 1942 (Saka)

No. 322/BR-LC/2020(MLAs) (2)—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-election (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission of India, in Consultation with the Government of Bihar hereby:

- Designates the officer, specified in column(1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- Appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions:

In respect of the biennial election to the Legislative Council of The State of Bihar, by the members of Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Governor's notification published in the official Gazette of the State on 18th June, 2020:-

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
1.	2.
Shri Bateshwar Nath Pandey, Secretary, Bihar Vidhan Sabha, Patna	Shri Bhushan Kumar Jha, Director, Bihar Vidhan Sabha, Patna

By order,

SUMAN KUMAR DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 359-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>